

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 236/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-03.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 03.07.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

प्रेस नोट

थाना – गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आवेदक के साथ फोन पे के माध्यम से हुए साइबर फ्राड का कुल 60,300 रूपया वापस कराया गया।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 28.01.2025 को आवेदक सार्जन यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के फोन पे पर एक लिंक आया जिसपर आवेदक द्वारा लिंक पर क्लिक करते ही आवेदक के खाते से 60300 रूपया कट गया था। जिसपर आवेदक द्वारा साइबर कम्पलेन न0 1930 पर काल करके शिकायत न0 33101250012942 कर दर्ज कराया गया था। थाना स्थानीय के साइबर टीम उ0नि0 विपिन द्विवेदी, कम्प्यूटर ऑपरेटर कुलदीप कुमार गुप्ता व कां0 शोएब द्वारा साइबर थाने की मदद से तत्काल कम्पलेन पर कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुए फ्राड का *60300 रूपये* होल्ड कराया गया था। जिसको रिलिज करने हेतु मा0न्यायालय से आदेश कराकर आवेदक के साथ हुए फ्राड की होल्ड धनराशि 60300 रूपये को आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

वापस कराया गया धनराशि:-

60300/- रूपये

आजमगढ़ पुलिस की सभी से अपील:-

आजमगढ़ पुलिस की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:- सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर *1930 पर* कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल *(cybercrime.gov.in)* पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।

ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।

अनजान नम्बरों से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय ले।

पुलिस द्वारा फोन कर या वीडियो काल कर डिजिटल अरेस्ट करने का कोई कानून नहीं है, ऐसे काल साइबर फ्राड करने वाले फ्राडेस्टर द्वारा किये जाते हैं, अतः आप सभी ऐसे आने वाले काल से जागरूक रहे व अन्य लोगो को भी जागरूक करें।

पुलिस टीम:-

01. थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

02. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

03. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए कुलदीप कुमार गुप्ता थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

04. कां0 शोएब कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



02.थाना-गंभीरपुर:- छेड़खानी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.07.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग बहन जो अपने खेत की तरफ गयी थी, जहाँ पर अभियुक्त संतोष पुत्र मनोज ग्राम गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन के साथ छेड़खानी किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.196/2025धारा 74 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.07.2025 को उ0नि0 त्रिभुवन प्रसाद मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र मनोज ग्राम गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को गोमाडीह ईट भट्टा के पास से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

01. संतोष पुत्र मनोज ग्राम गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0196/2025धारा 74 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 त्रिभुवन प्रसाद थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

02. हे0कां0 नेहाल सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

03. कां0 अभिषेक कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़



प्रेस नोट

थाना – सरायमीर जनपद आजमगढ़

साइबर फ्राड के 10,000 रुपये वापस कराया गया

संक्षिप्त विवरण-

आवेदक अबू अंजर पुत्र कयामुद्दीन निवासी ग्राम कलौरी खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 09.08.2024 को फेसबुक पर उसके रिश्तेदार द्वारा विदेश में मुसीबत में फंसे होने की बात को लेकर 25,000 रुपये ट्रांसफर करा लिये गये। बाद जानकारी हुई की वह फर्जी फेसबुक आईडी थी।

दिनांक 09.08.2024 को अबू अंजर पुत्र कयामुद्दीन निवासी ग्राम कलौरी खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 25,000 रुपये फ्राड के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 33108240098937 दर्ज करायी गयी थी। जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि फ्राड धनराशि में से ₹0. 10,000 विपक्षी मदातला गुरवा रेड्डी पुत्र लक्ष्मी रेड्डी निवासी मकान नंबर 6-197, तीसरी लेन श्रीनगर कॉलोनी, कुरनूल रोड, ओंगोल, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश - 523001 के खाते में 10,000 की धनराशि जाने पर उनका खाता फ्रीज हो गया था। विपक्षी उपरोक्त से सम्पर्क कर आज दिनांक 03.07.2025 को आवेदक के खाते में 10,000 रुपये वापस करा दिया गया है।

आजमगढ़ पुलिस की सभी से अपील:-

आजमगढ़ पुलिस की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:-

सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर ***1930 पर*** कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल ***(cybercrime.gov.in)*** पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।

ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।

अज्ञान नम्बरों से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय ले।

पुलिस द्वारा फोन कर या वीडियो काल कर डिजिटल अरेस्ट करने का कोई कानून नहीं है, ऐसे काल साइबर फ्राड करने वाले फ्राडेस्टर द्वारा किये जाते हैं, अतः आप सभी ऐसे आने वाले काल से जागरूक रहे व अन्य लोगों को भी जागरूक करें।

पुलिस टीम:-

01. कम्प्यूटर ऑपरेट सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



03. थाना-जहानागंज:- मारपीट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.06.2025 को वादिनी आशा पत्नी रियाजुद्दीन ग्राम नवापुरा खालिशा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादिनी के लड़के उस्मान को मारापीटा गया, जिससे उस्मान की आँख में चोट आयी है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-213/25 धारा 115(2)/118(2) BNS व बढोत्तरी धारा 352 बीएनएस बनाम 1. मुस्कान पुत्री सफीक निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 2. सफीक पुत्र सोकदरनिवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 3.सहीबुन पत्नी सफीक निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 03.07.2025 को उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सफीक पुत्र सोकदर निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष को चिरैयाकोट मुहम्मदाबाद मार्ग से नवापुराखालसा की तरफ जाने वाले रोड पर बने नवापुरा खालसा पुलिया के पास से समय करीब 05.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0-213/25 धारा 115(2)/118(2)/352 BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सफीक पुत्र सोकदर निवासी नवापुरा खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विनय कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
2. का0 मनोज कुमार यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
3. का0 ऋषि कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़



05.थाना-रानी की सराय:- आवास दिलाने का झासा देते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त, 05 अदद लांकेट (पीली धातु), 04 जोड़ी बाली/टप्स(पीली धातु), 01 अदद नाक की कील (पीली धातु), 05 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 अदद चैन (पीली धातु) व 24500/ रुपये नकद के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 01.07.2025 को आवेदक विजय राजभर पुत्र मोती राजभर नि0 चकसमस उर्फ भाउपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.06.2025 समय 11.30 बजे बाईक सवार एक पुरुष व एक महिला अज्ञात द्वारा आवेदक की मां को आवास दिलाने के नाम पर अपने साथ मोटर साईकिल पर बैठा कर कोटिला नहर के पास रुक कर आवेदक के मां के पहने हुए गहने एक जोड़ी बाली, नाक की फुल्ली, एक जोड़ी पायल आवास दिलाने में खर्च के नाम पर उतरवाकर ले लेना एवं जाते समय झपट्टा मारकर आवेदक की मां का मंगलसूत्र छीन लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/2025 धारा 318(2),304 बीएनएस बनाम बाइक पर सवार एक पुरुष व एक महिला नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1- साहब लाल पुत्र स्व.मुसाफिर राम उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम बेला कलीचपुर उर्फ किशुनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़, अभियुक्ता 2. नीरज उर्फ गुड्डी पत्नी रंगीले राम उम्र करीब 35 वर्ष निवासिनी ग्राम लहुआ खुर्द पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 03.07.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव, उ0नि0 हैदर अली मंसूरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्तों 1- साहब लाल पुत्र स्व.मुसाफिर राम उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम बेला कलीचपुर उर्फ किशुनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़, अभियुक्ता 2. श्रीमती नीरज उर्फ गुड्डी पत्नी रंगीले राम उम्र करीब 35 वर्ष निवासिनी ग्राम लहुआ खुर्द पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को शाहखजुरा के डीह बाबा के स्थान के पास से समय करीब 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पांच अदद लांकेट (पीली धातु), चार जोड़ी बाली/टप्स(पीली धातु), एक अदद नाक की कील (पीली धातु), पांच जोड़ी पायल (सफेद धातु), एक अदद चैन (पीली धातु) व 24500/ रुपये नकद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 201/2025 धारा 318(2),304, 317(2) बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- साहब लाल पुत्र स्व.मुसाफिर राम उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम बेला कलीचपुर उर्फ किशुनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. श्रीमती नीरज उर्फ गुड्डी पत्नी रंगीले राम उम्र करीब 35 वर्ष निवासिनी ग्राम लहुआ खुर्द पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

- (1)पांच अदद लांकेट (पीली धातु)
- (2)चार जोड़ी बाली/टप्स(पीली धातु)
- (3) एक अदद नाक की कील (पीली धातु)
- (4) पांच जोड़ी पायल (सफेद धातु)
- (5) एक अदद चैन (पीली धातु)
- (6) 24500/ रुपये नकद

अपराधिक इतिहास-

- (1)मु0अ0सं0 201/2025 धारा 318(2),304/317(2) बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय जनपद आमजगढ़
- (2)मु0अ0सं0 35/2025 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आमजगढ़
- (3)मु0अ0सं0 74/2025 धारा 331(10),303(02)/317(2)बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आमजगढ़
- (4)मु0अ0सं0 29/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय जनपद आमजगढ़
- (5)मु0अ0सं0 184/2025 धारा 305(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
- (6)मु0अ0सं0 130/2025 धारा 318(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
- (7)मु0अ0सं0 243/2025 धारा 318(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) उ0नि0 हैदर अली मंसूरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (3) का0 धीरज पटेल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

- (4)का0 अरविन्द कुमार थाना रानी कीसराय जनपद आजमगढ़
- (5)म0आ0 संयोगिता कुशवाहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

